



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1473]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 26, 2013/आषाढ़ 5, 1935

No. 1473]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 26, 2013/ASADHA 5, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2013

का.आ. 1857(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के सम्बंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 की सं. का.आ. 2924(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे; और

- यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया; और
- यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान-2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया।
- अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन

योजना जोन-'डी' में प्रगति मैदान की कुल 49.98 हेक्टेयर (123.51 एकड़) क्षेत्र के भू-उपयोग का "मनोरंजनात्मक (डिस्ट्रिक्ट पार्क)" से "सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं (अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र)" में परिवर्तन। प्लॉट की सीमाओं का ब्यौरा निम्नवत है।

क्र.सं.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	भूमि उपयोग (एमपीडी-2021)	प्रस्तावित भूमि उपयोग	सीमाएं
योजना जोन-'डी' में प्रगति मैदान	49.98 हेक्टेयर (123.51 एकड़)	मनोरंजनात्मक (डिस्ट्रिक्ट पार्क)	सार्वजनिक एवं अर्ध- सार्वजनिक सुविधाएं (अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र)	उत्तर : उच्चतम न्यायालय भूमि दक्षिण : भैरो मार्ग (60.96 मी. आर/डब्ल्यू) पूर्व : रेलवे लाइन पश्चिम : मथुरा रोड (45.0 मी. आर/ डब्ल्यू)

[फा. सं. के-13011/7/2011-डी डी-1]

अभिजीत बक्षी, उप-सचिव

334/c

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2013

S.O. 1857(E).—Whereas certain modification which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 2924(E) dated 18th December, 2012 by the Delhi Development Authority in accordance with the provision of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas, objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas, the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan of Delhi 2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The change of land use of an area measuring 49.98 Ha. (123.51 acres) of Pragati Maidan from “Recreational (District Park)” to “Public & Semi-Public Facilities (International Convention Centre)” in Planning Zone-‘D’. The boundary description of the plot is as under :—

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land use changes to	Boundaries
Pragati Maidan in planning Zone-‘D’	49.98Ha. (123.51 acres)	Recreational (District Park)	Public & Semi-Public facilities (International Convention Centre)	North : Supreme Court Land South : Bhairon Marg (60.96 m R/W) East : Railway Line West : Mathura Road (45.0 m R/W)

[F.No. K-13011/7/2011-DD-1]

ABHIJIT BAKSHI, Dy. Secy.